बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः–बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग की भाँति आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक) प्रक्षेत्र के चिकित्सकों/चिकित्सक शिक्षकों के लिए केन्द्रीय डायनेमिक ए०सी०पी० के लाभ का प्रावधान हू–ब–हू लागू करने के संबंध में।

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–89(2), दिनांक 25.01.2018 द्वारा राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग, बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (विशेषज्ञ उप संवर्ग) एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के चिकित्सकों/चिकित्सा शिक्षकों के लिए केन्द्रीय डायनेमिक ए०सी०पी० के लाभ का प्रावधान हू–ब–हू लागू किया गया है।

2. बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2010 की कंडिका–15 में यह प्रावधान किया गया है कि "राज्य चिकित्सा संवर्ग की सेवा शर्त्त निर्धारित करने के उद्देश्य से बनी नियमावली में जो भी संशोधन होगा वह आयुष प्रक्षेत्र में भी स्वतः लागू माना जाएगा।"

3. उक्त नियमावली के अनुसार आयुष चिकित्सकों को एवं अधिसूचना संख्या–1146(आ०चि०) दिनांक 09.10.2017 द्वारा आयुष चिकित्सक शिक्षकों को ग्रेड पे० 8700/– तक के वेतनमान में डायनेमिक ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किया गया है।

4. अतः बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग की भाँति आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक) प्रक्षेत्र के चिकित्सकों/ चिकित्सक शिक्षकों के लिए केन्द्रीय डायनेमिक ए०सी०पी० के लाभ का प्रावधान हू–ब–हू निम्नवत् लागू किया जाता है:–

S.N.	From	To	No. of years of Service required for Promotion
1	PB.II.G.P.-5400/-	P.B.III G.P.-6600/-	4 years in Grade Pay 5400/- in PB-II
2	PB.III.G.P.-6600/-	P.B.III G.P.-7600/-	5 years in Grade Pay 6600/- in PB-III or 9 years in service
3	PB.III.G.P.-7600/-	P.B.IV G.P.-8700/-	4 years in Grade Pay 7600/- in PB-III or 13 years in service
4	PB.IV.G.P.-8700/-	P.B.IV G.P.-10,000/-	7 years in Grade Pay 8700/- in PB-IV or 20 years in service including in PB-IV Grade Pay 8700/-

D:\Irshad alam\Sanlekh.docx

5. केन्द्रीय डायनेमिक ए०सी०पी० का वैचारिक लाभ दिनांक 21.12.2010 की तिथि से एवं वित्तीय लाभ दिनांक 01.04.2017 की तिथि से प्रभावी होगा।

6. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन राजकीय गजट के असाधारण अंक में किया जाय तथा इसकी 25 प्रतियाँ आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(डा0 राजीव कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–16/एच ई–06/2017 –1556 (आ० चि०) पटना, दिनांक–04.12.2018

प्रतिलिपि– उप सचिव (मुद्रणालय शाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सिविल सर्जन/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक, आयुर्वेद/होमियोपैथिक/यूनानी/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक, युनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी क्षेत्रीय, उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं युनानी औषध निर्माणशाला, पटना/निबंधक, बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड, पटना/निबंधक, बिहार राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद्, पटना/उपाधीक्षक, दस शय्यायुक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, पटना/आयुष निदेशालय के संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03/12/18
सरकार के अपर सचिव

D:\irshad alam\Sanlekh.docx